न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक–राज0
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 03 / 2014
प्रविष्टि दिनांकः– 11.04.2014

1. रघुनन्दन पुत्र रामरतन ।
2. रामराय पुत्र रामरतन । जाति धाकड निवासी ग्राम गुराई तहसील देवली जिला टोंक
3. तोलाराम पुत्र रामरतन । राज0
4. दीनदयाल पुत्र रामरतन ।

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र लालाराम जाति स्वामी बेरागी हाल निवासी गुराई तहसील देवली जि. टोंक राज0
2. ग्राम पंचायत गुराई, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत गुराई तह0 देवली

..... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा0प0 एक्ट 1994 विरूद्व प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 21.02.2009 व पटटा दिनांक 15.12.2009

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक गैर निगरानीकर्ता सं0 1

निर्णय

दिनांक 24.05.2018

1– संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत गुराई द्वारा प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 21.02.2009 के माध्यम से गैर निगरानीकर्ता नं0 1 को पूर्व में जारी किये गये पटटे दिनांक 03.06.1982 का नवीनीकरण किया है, भूमि विक्रय विलेख को पंजीकृत करवाया है उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने हेतु निगरानी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

2– निगरानी प्रस्तुत होने पर गैरनिगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया जाकर ग्राम पंचायत गुराई से रेकार्ड मंगवाया गया, संबंधित मिसल न भिजवाकर ग्राम पंचायत द्वारा बैठक रजिस्टर वर्ष 2008–2009 प्रस्तुत किया गया। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

3– विद्वान अभिभाषक रिविजनकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गुराई ने नॉन रिवजनकर्ता नं0 1 को 20 गज X 15 गज कुल 300 वर्गगज का पट्टा पूर्व में दिनांक 24.11.1982 को प्रदान किया था इस पट्टे के विरूद्व रिविजनकर्ता के पिता रामरतन पुत्र श्योलाल जाति धाकड ने न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर टोंक में कार्यवाही की थी जो उनवानी रामरतन बनाम लक्ष्मीनारायण

भारसक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पत्रावली सं0 1/1983 है, उक्त पत्रावली में न्यायालय हाजा ने दिनांक 18.01.1985 को रामरतन की निगरानी स्वीकार करते हुए नॉनरिवीजनकर्ता 1 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे को निरस्त कर दिया तथा इस प्रकरण में यह निर्देश भी दिये गये कि इस भूमि पर श्री रामरतन पुत्र श्योलाल धाकड निवासी गुराई के कोई बार्ड पूर्व से ही बने हुए हो तो उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार नियमित करने की कार्यवाही की जावे। इस प्रकार 24.11.82 को नॉन रिवीजनर को पटटा न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को यह अधिकार प्राप्त नहीं है नॉनरिवीजर नं0 1 को पूर्व में जारी पट्टे का नवीनीकरण करदे। उक्त विवादित भूखण्ड पर निगरानीकर्तागण का 30–40 वर्षो से बाडा बना हुआ है जिसका उपयोग उपभोग वह अपने पशुधन, चारा वगेरह आदि को रखने में करते आ रहे है, नॉनरिवीजर सं0 1 का इस भू–खण्ड से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है और न ही आज तक उसका कोई कब्जा रहा है, यदि ग्राम पंचायत को इस भूमि के संबंध में नॉनरिवीजनर के हक में नया पट्टा जारी करना था जो राज0 पंचायत अधि0 में विहित सम्पूर्ण प्रकिया का अनुपालना करना चाहिए था। ग्राम पंचायत ने उक्त प्रस्ताव गुपचुप तरीके से लिया है, ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर टोंक के निर्णय में दिये गये अनुदेशो की कोई पालना नहीं की गई है, निर्देशो के अनुसार उक्त विवादित भूखण्ड का नियमन रिवीजनकर्ता के पक्ष में किया जाना चाहिऐ था। ग्राम पंचायत को उक्त निर्देशो की पालना करते हुए निगरानीकर्ता को विधिवत नोटिस देते हुए अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसा ने करके प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है। इस कारण ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं0 2 गलत सादिर हुआ है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

4– विद्वान अभिभाषक नॉनरिवीजनकर्ता सं0 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम पंचायत गुराई ने नॉन रिवजनकर्ता नं0 1 को 20 गज X 15 गज कुल 300 वर्गगज का पट्टा दिनांक 24.11.1982 को नियमानुसार प्रदान किया था जिसको ग्राम पंचायत गुराई द्वारा ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक 21.02.2009 के प्रस्ताव सं0 2 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सदस्यों की उपस्थिति में नियमानुसार नवीनीकरण किया गया था। दिनांक 05.09.2009 को प्रस्ताव सं0 8 द्वारा पुनः उक्त पट्टे का नवीनीकरण भी किया गया। यदि यह गलत होता तो ग्राम पंचायत ऐसा नहीं करती। रिवीजनकर्ता द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय दिनांक 18.11.1985 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है वह अधुरी व अप्रमाणित है, ग्राम पंचायत को पट्टे का नवीनीकरण करने का अधिकार है, नॉन रिवीजर भूमि विक्रय विलेख पंजीबद्व कराने का हकदार है। ऐसी स्थिति में रिवीजनकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

5– हमनें विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की की बहस सुनी एवं पंचायत गुराई द्वारा प्रस्तुत बैठक रजिस्टर वर्ष 2008–2009 तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। पटटे की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि पटटे की पुश्त पर प्रतिपक्षी सं0 1 के हक में उत्तर से दक्षिण 15 वर्ग फीट, पूर्व से पश्चिम 20 फीट कुल 300 वर्ग गज भूमि का पटटा ग्राम पंचायत गुराई द्वारा जारी किया गया है। प्रकरण के साथ चूंकि पंचायत से मूल पत्रावली, मूल पटटा आदि प्राप्त नहीं हुए है। अतः पंचायत द्वारा पटटा जो जारी किया गया है उसमें नियमों की कियान्विति की गई है या नहीं, बिना पंचायत के उक्त रेकार्ड के अभाव में पूर्ण जानकारी सम्भव नहीं है। बैठक रजिस्टर के अवलोकन से जाहिर है कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नॉन रिवजनकर्ता के हक में जो प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 21.02.2009 लिया गया है उसमें पटटे का नवीनीकरण करने का अनुमोदन तो सर्व सम्मति से लिया गया है किन्तु उस पर अध्यक्ष अथवा सरपंच/सचिव के कही भी हस्ताक्षर नहीं है और प्रस्तुत पट्टे की फोटो प्रति पर दिनांक 05.09.2009 को प्रस्ताव सं0 8 सर्व सम्मति से नवीनीकरण करने का लिया गया है वह प्रस्ताव बैठक रजिस्टर में कहीं नहीं है। भूखण्ड सिवायचक भूमि में जारी किया गया है अथवा आबादी की भूमि में, यह स्पष्ट नहीं हैं। अतः वस्तुतः स्थिति की जांच कर प्रकरण पंचायत को प्रति प्रेषित कर इस आदेश से रिमाण्ड किया जाना उचित होगा कि वे पंचायत की पत्रावली, पटटे बही व अन्य सम्बन्धित रिकार्ड के तलब कर एवं अवलोकन कर तथा पक्षकारान को सुनकर पुनश्चः निर्णय पारित करें।

आदेश

6— फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र/निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुराई का प्रस्ताव सं0 2 तथा उसकी पालना में पंजीकृत किया गया विक्रय विलेख दिनांक 15.12.2009 को निरस्त किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत गुराई को प्रकरण इस आदेश से रिमाण्ड किया जाता है कि यदि भूमि सिवायचक है तो पंचायत जांच करे और पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही करे एवं यदि भूमि तत्समय आबादी में थी तो सभी पक्षो को नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई कर स्पष्ट एवं सुसंगत पुनश्चः निर्णय पारित करें।

7— निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)